

न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक, देहरादून

निष्पादन वाद सं०-105 / 2022

C.G No. 105/2022

M/s Shriram City Union Finance Ltd.

Vs.

Mr. Parth Singh Pundir & others.

दिनांक-17.08.2023

पुकार लगाया गया। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित श्रीवास्तव उपस्थित। निर्णीतऋणीगण अनुपस्थित।

पत्रावली का परिशीलन किया। इस मामले में डिक्रीदार द्वारा पिछले तीन आदेशों के अनुक्रम में निर्णीतऋणीगण को नोटिस जारी करने हेतु कोई पैरवी नहीं किया गया है। आज भी डिक्रीदार द्वारा कोई पैरवी नहीं किया गया है।

डिक्रीदार द्वारा पैरवी न किये जाने से यह दर्शित होता है कि डिक्रीदार इस प्रकरण को जारी रखने हेतु इच्छुक नहीं है।

अतः यह निष्पादन वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
अपर जिला न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय
देहरादून।